HEMCHAND YADAV UNIVERSITY, DURG (CHHATTISGARH)

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

ADMIT CARD

CLASS :- ……. PART :- …….. ANNUAL/Supplemetary EXAMINATION - 2018

REG./Enrollment NO. - **ROLL NO. :-**

PHOTO & SPECIMEN SIGNATURE OF THE CANDIDATE

STUDENT NAME :-

FATHER'S/HUSBAND NAME :-

MOTHER'S NAME :-

COLLEGE CODE AND NAME :-

CENTRE CODE AND NAME :-

GENDER :- DATE OF BIRTH :- CATEGORY :-

SUBJECT AND PAPER DETAILS

SUBJECT NAME	PAPER CODE	PAPER NAME

The University has permitted this Candidate to Appear at the above said Examination

Signature of Principal with Seal **Deputy Registrar**

महत्वपूर्ण निर्देश

1-ऑनलाईन डाउनलोड किये गये प्रवेश पत्र परीक्षा केन्द्र/महाविद्यालय द्वारा सत्यापित किये जाने पर ही मान्य होगा।

2-जांच के दौरान किसी भी स्थिति में यदि परीक्षा के लिए अपात्र पाए जाने पर आपकी परीक्षा निरस्त की जा सकती है।

3- परीक्षार्थी उपरोक्त लिखित जानकारियों का परीक्षण कर लेवें। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर विश्वविद्यालय को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करावें।

4- विश्वविद्यालय द्वारा आबंटित परीक्षा केन्द्र से ही परीक्षा देना अनिवार्य है।

5- परीक्षार्थी का परीक्षा में प्रवेश सभी निर्धारित शर्त पूर्ण करने के अधीन है।

6- परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर 15 मिनट पूर्व उपस्थित होवें। उत्तरपुस्तिका के प्रथम पृष्ट पर अपने अनुक्रमांक/नामांकन अंक स्पष्ट अक्षरों में अंकित करें।

7- परीक्षार्थी उत्तरपुस्तिका में कही भी अपना नाम न लिखें और न ही ऐसे संकेत करें जिससे उत्तरपुस्तिका की पहचान हो सके।

8- विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित समय–सारणी के अनुसार परीक्षाएं आयोजित होगी।

9- परीक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार दंडनीय है।

10- प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि 40 रू. शुल्क के साथ आवेदन करने पर संबंधित परीक्षा केन्द्र से प्राप्त की जा सकती है।

11- प्रवेश पत्र प्रतिदिन परीक्षार्थी अपने साथ अनिवार्य रूप से लाएं।

12- परीक्षा भवन में मोबाईल फोन लाना प्रतिबंधित है।

13- नेत्रहीन Physically Handicapped and Dyslexia परीक्षार्थियों को लेखन सुविधा के साथ साथ परीक्षा अवधि में एक घंटे का अतिरिक्त समय प्रदान किया जायेगा।

14- परीक्षा के दौरान यदि कोई परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो तो शासकीय चिकित्सालय के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष अध्यादेश 5 की कंडिका 6 के प्रावधान अनुसार लेखन की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।